दिनांक 01.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 01/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फिरोजाबाद/थाना सिरसागंज

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **11 हजार रूपये नगद**
- **लूट के एटीएम कार्ड सहित 41 एटीएम कार्ड, 02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 वैगनार कार आदि बरामद**

दिनांक 01.10.2024 को थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम देहुली से कठफोरी हाइवे के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–तनजीब आलम 2–अनीस घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 11 हजार रूपये नगद, लूट के एटीएम कार्ड सहित 41 एटीएम कार्ड, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 वैगनार कार आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.09.2024 को थाना सिरसागंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिरसागंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना सिरसागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—तनजीब आलम निवासी काहोरा का अड्डा चिड़ियाखान थाना कोतवाली जनपद रायबरेली।

2—अनीस निवासी ग्राम मड़ावा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1—11 हजार रूपये नगद।

2—लूट के एटीएम कार्ड सहित 41 एटीएम कार्ड, 02 मोबाइल फोन।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 वैगनार कार आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—39

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 30.09.2024 की रात्रि थाना सेक्टर—39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम अमेठी गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान दो पहिया सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—मनीष घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—विशाल 3—सुमित सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—39 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनीष निवासी रामपुर थाना सुईली जनपद कानपुर देहात, हालपता छलैरा सेक्टर–39 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–विशाल निवासी बदरपुर बॉर्डर दिल्ली, मूलपता बहादर थाना गौरीगंज अमेठी।

3–सुमित निवासी बदरपुर बॉर्डर दिल्ली, मूलपता गौऊघाट कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1–चोरी की 01 दो पहिया वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना विकासनगर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के माल बिक्री के 07 हजार 810 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 01.10.2024 को थाना विकासनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मिनी स्टेडियम विकासनगर के पास से 02 अभियुक्तों 1–राजप्रताप उर्फ बाबू उर्फ छपरी 2–इन्द्रकुमार उर्फ इन्दल को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के माल बिक्री के 07 हजार 810 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.09.2024 को थाना विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना विकासनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना विकासनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजप्रताप उर्फ बाबू उर्फ छपरी निवासी सुरियामऊ थाना गोसाईगंज कमिश्नरेट लखनऊ, हालपता कस्बा व थाना गोसाईगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

2–इन्द्रकुमार उर्फ इन्दल निवासी मिरजागर थाना शिवरतनपुर जनपद अमेठी, हालपता सेक्टर–3 थाना विकासनगर कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–लूट के माल बिक्री के 07 हजार 810 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना सैरपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 24 टॉवर की बैट्री**
- **01 अल्टो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 01.10.2024 को थाना सैरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आईआईएम तिराहा के पास से 05 अभियुक्तों 1–अनमोल 2–रजत 3–कुलदीप 4–अजय कुमार 5–अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 24 टॉवर की बैट्री, 01 अल्टो वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.09.2024 को थाना सैरपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सैरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैट्री आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सैरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनमोल निवासी ग्राम डलुवापुर थाना मितौली जनपद लखीमपुर खीरी।

2—रजत निवासी ग्राम डलुवापुर थाना मितौली जनपद लखीमपुर खीरी।

3—कुलदीप निवासी ग्राम डलुवापुर थाना मितौली जनपद लखीमपुर खीरी।

4—अजय कुमार निवासी ग्राम दुबहा फार्म थाना मितौली जनपद लखीमपुर खीरी।

5—अभियुक्ता।

बरामदगी

1—चोरी की 24 टॉवर की बैट्री।

2—01 अल्टो वाहन आदि।

- **जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 25 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—शिवकुमार 2—रतिभान 3—भंवरसिंह 4—अभिषेक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गोरखपुर/थाना झंगहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 25—25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना झंगहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—शारदा प्रसाद 2—संजीव कुमार को आजीवन कारावास व 25—25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना लोनार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना लोनार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त भूरे को आजीवन कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना नैमिषारण्य (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना नैमिषारण्य पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–वीरेन्द्र 2–हारून को 20–20 वर्ष के कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना कासिमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्त को 07–07 कारावास की सजा व प्रत्येक को 06 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना कासिमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/324/325/326 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजेश 2–राजेन्द्र को 07–07 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 06 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————